भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 320

02 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: पीएम-आशा का कार्यान्वयन

320. श्री राजू बिष्ट:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो योजना का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो पश्चिम बंगाल में योजना को कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं;

(ग) पीएम-आशा योजना से राज्य-वार कितने किसान लाभान्वित हुए हैं; और

(घ) उक्त योजना के माध्यम से किसानों को मिलने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) पूरे देश में लागू है। अभी तक, इस योजना के तहत पश्चिम बंगाल सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है।

मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), मूल्य भावांतर योजना (पीडीपीएस) और बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) पीएम-आशा के घटक हैं। पीएसएस को तय समय में, तय उच्च औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) की अधिसूचित दालों, तिलहनों और खोपरा की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद के लिए उपज अवधि के दौरान उस समय लागू किया जाता है, जब इन वस्तुओं की बाजार कीमत अधिसूचित एमएसपी से कम हो जाती है ताकि पूर्व पंजीकृत किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान किया जा सके। सेंट्रल नोडल एजेंसियां (सीएनए) अधिसूचित दलहन, तिलहनों और खोपरा की खरीद सीधे पूर्व पंजीकृत किसानों से राज्य स्तरीय एजेंसियों के माध्यम से करती हैं। यह योजना संबंधित राज्य सरकार के अनुरोध पर लागू की जाती है, जो खरीदी गई वस्तुओं को मंडी

कर से छूट प्रदान करती है तथा, जैसा कि योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक है, सेंट्रल नोडल एजेंसियों को लॉजिस्टिक प्रबंधन में मदद करती है, जिसमें गनी बैग, राज्य एजेंसियों के लिए कार्यशील पूंजी, पीएसएस संचालन के लिए रिवॉल्विंग फंड बनाना आदि शामिल है।

पीडीपीएस में तय समय सीमा के अंतर्गत अधिसूचित मार्केट यार्ड में निष्पक्ष नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से तय उच्च औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) मानदंड के तहत तिलहन की बिक्री करने वाले पूर्व पंजीकृत किसानों को एमएसपी और बिक्री/ मॉडल कीमत के बीच के अंतर का सीधा भुगतान करने की संकल्पना की गई।

एमआईएस को उन कृषि एवं बागवानी वस्तुओं की खरीद के लिए कार्यान्वित किया जाता है, जो नाशवान प्रकृति की होती हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आती हैं। इस हस्तक्षेप का उद्देश्य, किसानों को उपज की अवधि के दौरान अत्यधिक उत्पादन की स्थिति में उस समय मजबूरी में बिक्री करने से बचाना है जब कीमतें आर्थिक स्तर और उत्पादन लागत से कम हो जाती हैं। सरकार द्वारा मूल्य अंतर भुगतान (पीडीपी) के नए घटकों की शुरुआत की गई है, जिसमें एपीएमसी मंडियों में किए गए फसलों के व्यापार के लिए किसानों को बाजार हस्तक्षेप मूल्य (एमआईपी) और बिक्री मूल्य के बीच मूल्य अंतर का सीधा भुगतान करने का विकल्प है। इसके अतिरिक्त, टीओपी फसलों (टमाटर, प्याज और आलू) की परिवहन और भंडारण लागत के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों और राज्य नामित एजेंसियों को भंडारण और उन्हें उत्पादक राज्य से उपभोक्ता राज्य तक परिवहन के लिए प्रतिपूर्ति की अनुमति है।

(ग): **पीएम-आशा के तहत** लाभान्वित किसानों की संख्या 1,27,67,791 है। राज्यवार आंकड़े अनुबंध-I में दिए गए हैं।

(घ): पीएसएस लागू करने से, किसानों को सरकार की तय खरीद एजेंसियों को अपनी फसल बेचकर अधिसूचित दालों, तिलहन और खोपरा के लिए एमएसपी का लाभ प्राप्त होगा। पीडीपीएस लागू करने से किसानों को एपीएमसी मंडियों में व्यापार होने वाले अधिसूचित तिलहनों के एमएसपी और बिक्री कीमत के बीच के अंतर का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। एमआईएस द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसानों को चरम उपज अवधि के समय नाशवान प्रकृति की फसलों के लिए उचित कीमत मिले।

अनुबंध-I

वर्ष 2018 से पीएम-आशा के तहत राज्यवार लाभान्वित किसानों के आंकडे (दिनांक 31.10.2025 तक)

राज्य /वर्ष	**लाभान्वित किसानों की संख्या**
आंध्र प्रदेश	3,00,616
असम	5,391
छत्तीसगढ़	2,325
गुजरात	21,61,504
हरियाणा	7,80,620
कर्नाटक	11,06,384
केरल	6,840
मध्य प्रदेश	33,48,602
महाराष्ट्र	20,51,886
ओडिशा	45,967
पंजाब	2,526
राजस्थान	22,19,830
तमिलनाडु	1,08,471
तेलंगाना	3,86,042
उत्तर प्रदेश	2,40,787
सकल योग	**1,27,67,791**

******